

11.07.2024
रावतभाटा इलाका
(राजस्थान)

7/06
2024

पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्षलान्त उपस्थित परोक्ष सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो जाकर प्रस्तुत करने के इन्कार कर पत्रावली के NO-objection प्रस्तुत किया। वकील प्राची ने आज ही वहन करने का निवेदन कर 310 पत्र धारा-128 पर वहन अवलोकन हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्राची को वहन पर मना किया गया। 310 पत्र धारा-128 व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करवाते किया गया। वकील प्राची द्वारा वहन के फॉर्म दी गई प्रतीकों के एक संग्रह है। प्राची का 310 पत्र धारा-128 वाक्य पत्रावली का हकीकत चेपम पाया जाता है। उक्त वकील प्राची का 310 पत्र हकीकत चेपम धारा जो ले हकीकत किया जाता है। 310 पत्र धारा-128 का निवेदन प्रथम ले लिया जाकर जुले - न्यायालय की इजलाह में सुनाया गया। पत्रावली प्रकृत सुमार हो दर्ज रजिस्टर ले कर किया जाकर शामिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

